26-11-2021 - पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 कैम्प ~~सिरासना~~ खारसूडा मे रखी गई। प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं० 2 से 9 ने इकबाल जवाब पेश किया, जो शा० कि० रहे। अप्रार्थी सं० 1 ने जवाब पेश किया जो शा० कि० रहे। उपस्थित पक्षो को सुना गया। प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

LTI
हापूराम

केलाशराम
राजेन्द्र

पुनाराम

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 35/2021

प्रार्थी – हाबूराम पुत्र पांचाराम जाति जाट निवासी उदियास तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण– 1. तहसीलदार डेगाना जिला नागौर राज0
2. कैलाश पुत्र बक्साराम
3. राजू पुत्र बक्साराम
4. सुगनाई पत्नी बक्साराम
5. पूनाराम पुत्र मंगाराम
6. बाऊदेवी पत्नी हरीराम
7. भगवानराम पुत्र हरीराम
8. भभूताराम पुत्र जोराराम
9. रूपाराम पुत्र पाबूराम जातियान जाट निवासी उदियास तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
10.प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा ईड़वा, तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी – श्री हर्षा चौधरी

दिनांक 26.11.2021

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम सारसण्डा तहसील डेगाना की सरहद में जमीन खेत खसरा नंबर 646 रकबा 8.9700 हैक्टेयर व राजस्व ग्राम उदियास में खसरा नंबर 27/2 रकबा 0.5200 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी का सही नाम हाबूराम पुत्र पांचाराम है जो नाम इनके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, मतदाता पहचान पत्र व अन्य सरकारी दस्तावेजात में दर्ज है। उपरोक्त विवादित जमीन राजस्व ग्राम सारसण्डा व उदियास की जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी का नाम दुर्गाराम पुत्र पांचाराम गलत दर्ज हो गया जबकि इन खसरान की जमाबन्दी में प्रार्थी का सही नाम हाबूराम पुत्र पांचाराम दर्ज किया जाना था। हाबूराम पुत्र पांचाराम व दुर्गाराम पुत्र पांचाराम नाम का एक ही व्यक्ति है। इन नामों के अलग–अलग व्यक्ति नहीं है। मुतनाजा खसरान की खातेदारी में प्रार्थी का सही नाम हाबूराम पुत्र पांचाराम दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे प्रार्थी ने नाम दुरूस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त भूमि की खातेदारी में प्रार्थी का नाम दुर्गाराम पुत्र पांचाराम के स्थान पर हाबूराम पुत्र पांचाराम दर्ज किये जाने पर अन्य सह खातेदारान को किसी प्रकार

की क्षति होने वाली नहीं है। प्रार्थी ने उक्त भूमि की जमाबन्दी में सही नाम दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार डेगाना से निवेदन किया मगर उन्होने राजस्व रेकर्ड में नाम दुरूस्त किये जाने से इन्कार कर दिया जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम सारसण्डा के खसरा नंबर 646 व राजस्व ग्राम उदियास के खसरा नंबर 27/2 की खातेदारी में प्रार्थी के गलत नाम दुर्गाराम पुत्र पांचाराम के स्थान पर सही नाम हाबूराम पुत्र पांचाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार ने लिखित जवाब पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 2 से 9 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया है।

भूमिधारी तहसीलदार डेगाना ने प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 कैम्प ~~सिरासना~~ सारसण्डा में उपस्थित मौतबरान से जानकारी लेते हुए फर्द मौका रिपोर्ट बनाकर अपने जवाब में कथन किया है कि उक्त विवादित जमीन की खातेदारी में प्रार्थी का नाम दुर्गाराम के स्थान पर हाबूराम किया जाना उचित है।

तहसीलदार डेगाना के द्वारा प्रस्तुत जवाब व राजस्व दस्तावेजात की छांया प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का प्रार्थी सह खातेदार है। सह खातेदारान ने प्रार्थी का सही नाम हाबूराम पुत्र पांचाराम होना स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया है। भूमि धारी तहसीलदार डेगाना ने भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की अनुशंषा की है। अभियान के दौरान मजमेआम में उपस्थित लोगो ने भी दुर्गाराम पुत्र पांचाराम का सही व वास्तविक नाम हाबूराम पुत्र पांचाराम होना अवगत कराया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लोक दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम हाबूराम पुत्र पांचाराम दर्ज है। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब, भूमिधारी की अनुशंषा, मजमेआम में प्राप्त जानकारी एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लोक दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व सारसण्डा तहसील डेगाना की सरहद में जमीन खेत खसरा नंबर 646 रकबा 8.9700 हैक्टेयर व राजस्व ग्राम उदियास में खसरा नंबर 27/2 रकबा 0.5200 हैक्टेयर की भूमि दर्ज खातेदार दुर्गाराम पुत्र पांचाराम के स्थान पर हाबूराम उर्फ दुर्गाराम पुत्र पांचाराम किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर मजमेआम में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)